दिनांक: 29-05-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा दहेज हत्या के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 17.04.2024 को वादिया श्रीमती प्रमीला पत्नी प्रदीप कुमार निवासी ग्राम सरसीना थाना नागल जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत वादिया की पुत्री साक्षी को उसके ससुरालजनों 1. मनीष पुत्र सतीश 2.सतीश पुत्र पिरथी 3. श्रीमती सुमन पत्नी सतीश 4. रोहित पुत्र सतीश निवासी ग्राम दादनपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा दहेज की मांग पुरी न करने पर प्रताडित करना तथा जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या कर देने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 94/2024 धारा 304बी/498ए भादवि व ¾ दहेज प्रति0 अधि0** पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व मे पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमें में 01 वांछित अभियुक्त **मनीष कुमार पुत्र सतीश सैनी निवासी ग्राम दादनपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को आज दिनांक 29.05.2024 को हमामपुर नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मनीष कुमार पुत्र सतीश सैनी निवासी ग्राम दादनपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री रामचरन सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
2. हे0का0 830 राहुल शर्मा थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 29.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा दहेज हत्या के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 28.04.2024 को वादी श्री राजबीर सिंह पुत्र श्री सीताराम निवासी ग्राम डकरावर कलां थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर की तहरीरी सूचना बावत अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री श्रीमती हिमानी को दहेज के लिए प्रताडित कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना नकुड पर मु0अ0सं0-128/2024 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 बनाम 1. श्रीमती पूनम पत्नि प्रदीप कुमार 2. रेणुका पुत्री प्रदीप कुमार 3. प्रभात पुत्र प्रदीप कुमार निवासीगण ग्राम बांदूखेडी थाना नकुड जिला सहारनपुर पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए, जिसके क्रम में अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना नकुड़ के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 29.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त **प्रभात पुत्र प्रदीप कुमार निवासी ग्राम बांदूखेडी थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को टोली कट पर अम्बाला सहारनपुर हाइवे के नीचे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

प्रभात पुत्र प्रदीप कुमार निवासी ग्राम बांदूखेड़ी थाना नकुड जिला सहारनपुर।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सत्येन्द्र शर्मा थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 261 अजीत कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक - 29.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये मोबाइल व अन्य सामान बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 25.05.2024 को वादी श्री तुषार शर्मा पुत्र राजेन्द्र शर्मा निवासी पुष्पांजली विहार जनता रोड थाना जनकपुरी सहारनपुर ने हाजिर थाना आकर एक प्रार्थना पत्र बाबत अज्ञात चोर द्वारा गोविंद विहार माहीपुरा चौक पर स्थित वादी की दुकान से मोबाईल व अन्य सामान चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 100/24 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण एवं चोरी की घटनाओं की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर चोर अभियुक्त 1. अमान सैय्यद पुत्र अजमल अली निवासी मोहल्ला गुलबहार वाली गली खानआलमपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर, 2. आसिफ अंसारी पुत्र यासीन अंसारी निवासी चार खम्भो वाली गली जनकनगर सहारनपुर हाल पता 62 फुटा रोड इनायरा स्कूल के पास थाना कुतुबशेर सहारनपुर को पहलवानपीर के पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी गया बरामद किया गया। बरामदगी के आधापर मुकदमा उपरोक्त में धारा 457/411 भादवि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. अमान सैय्यद पुत्र अजमल अली निवासी मोहल्ला गुलबहार वाली गली खानआलमपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
2. आसिफ अंसारी पुत्र यासीन अंसारी निवासी चार खम्भो वाली गली जनकनगर सहारनपुर हाल पता 62 फुटा रोड इनायरा स्कूल के पास थाना कुतुबशेर सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास अमान सैय्यदः-

मु0अ0सं0 210/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 09 नये मोबाइल फोन मय
- 01 पुराना फोन
- हेड फोन तीन पैकेट मय चार्जर
- तीन पैकेट डाटा केबल अमाती कम्पनी
- एक पैकेट ब्लूटूथ नेकबैंड

<u>अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. उ0नि0 विजय सिहं, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 इन्द्रसैन, थाना जनकपुरी, जनपद सहारनपुर
2. है0का0 50 विशाल मलिक, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
3. कां0 2301 मोहित अत्री, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 29.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, पुलिस द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 20 पव्वे देशी शराब हरयाणा मार्का बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण , मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले एवं इसमें संलिप्त अपराधियो तथा वांछित / वारन्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिहं के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त **अताउर्रहमान पुत्र अब्दुल सलाम निवासी मौ0 बंजारान थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित **मु0अ0सं0 63/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर** को बंजारो के पुल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से देशी शराब 20 पव्वे देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई। के साथ करीब 10 कदम की दूरी पर बंजारो के मोहल्ले की और से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 20 पव्वे देशी शराब हरयाणा मार्का बरामद हई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर पर **मु0अ0सं0 218/24 धारा 63 आबकारी अधिनियम** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त अताउर्रहमान उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मै हरियाणा राज्य से सस्ते दाम पर शराब खरीद कर यहां आस पास के क्षेत्र में मंहगे दाम पर बेच देता हूं। जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। आज भी मै यह शराब बेचने जा रहा था कि पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अताउर्रहमान पुत्र अब्दुल सलाम निवासी मौ0 बंजारान थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

पव्वे देशी शराब हरयाणा मार्का

आपराधिक इतिहास –

- मु0अ0सं0 380/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर,
- मु0अ0सं0 63/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 राजकुमार त्यागी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0कां0 100 राहुल त्यागी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 02 कमल कौशिक थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 29.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज चाकू व चोरी की गयी 01 जोडी पाजेब सफेद धातु बरामद।

अवगत कराना है कि दिनाकं 05.05.2024 को वादी श्री इरफान पुत्र मजीद निवासी ग्राम महेश्वरी कला थाना चिलकाना सहारनपुर द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त **जुलफान उर्फ जुल्लू पुत्र इऱफान निवासी ग्राम महेश्वरी कला थाना चिलकाना सहारनपुर** के द्वारा वादी के साथ गाली गलोच कर मारपीट करने व हाथ पैर तोडने की धमकी देना व वादी के घर का ताला तोडकर घर का सामान चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 106/2024 धारा 323/504/506/454/380 भादवि पंजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **जुलफान उर्फ जुल्लू पुत्र इऱफान निवासी ग्राम महेश्वरी कला थाना चिलकाना सहारनपुर** को आज दिनाकं 29.05.2024 को हाफिज रिजवान के मदरसे के सामने सडक पुख्ते से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 नाजायज चाकू व चोरी गये सामान 01 जोडी पाजेब सफेद धातु बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-411 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

अभियुक्त जुलफान उर्फ जुल्लू पुत्र इऱफान निवासी ग्राम महेश्वरी कला थाना चिलकाना सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 नाजायज चाकू
- 01 जोडी पाजेब सफेद धातु

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0- 15/18 धारा- धारा—3/5क/8 सीएस एक्ट चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0- 14/18 धारा- धारा—307 भादवि पुलिस मुठभेड चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0- 125/19 धारा- धारा—2/3 गैगस्टर एक्ट चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0- 139/19 धारा- धारा—4/25 ए एक्ट चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0- 441/20 धारा- धारा—8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर।
6. निवारक कार्यवाही संख्या 47/24 धारा 110 जी सीआरपीसी चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर
7. निवारक कार्यवाही संख्या 71/24 धारा 3 यूपी गुण्डा चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर
8. मु0अ0स0 106/2024 धारा 323/504/506/454/380/411 भादवि व 4/25 ए एक्ट थाना चिलकाना

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उप निरी0 विजय सिह थाना चिलकाना सहारनपुर ।
2. उप निरी0 आकाश कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. का0 2056 शुभम सिरोही थाना चिलकाना सहारनपुर।

दिनांकः 29-05-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नागल, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 11000/- रूपये नगद व 01 चोरी का मोबाइल बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण, चोरी की घटनाओं की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना नागल के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.05.2024 को थाना नागल पुलिस टीम द्वारा गस्त के दौरान जनता की मदद से 02 शातिर चोरों **1. प्रशान्त पुत्र प्रवीन 2.विशाल पुत्र बिट्टू निवासीगण ग्राम डघेडा थाना नागल जिला सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे से राकेश कुमार पुत्र हरिचन्द निवासी ग्राम बहोडूपुर थाना नागल जिला सहारनपुर के घर से चुराये गये 11,000/- रूपये नगद व 01 मोबाईल फोन बरामद हुआ । राकेश कुमार द्वारा थाना नागल पर एक लिखित तहरीर बाबत उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा वादी के घर से 11000/- रूपये व 01 मोबाईल फोन चोरी करने के सम्बन्ध में थाना नागल पर **मु0अ0सं0 125/24 धारा 379/411 भादवि** पंजीकृत कराया गया । अभियुक्तगणो के विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगणो ने पूछताछ करने पर बताया गया कि हम दोनो नशे के आदि है । इसलिये हम लोग चोरी करके अपने नशे की जरूरतो को पूरा करते है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

1. प्रशान्त उर्फ सोनू पुत्र प्रवीण निवासी दंघेडा थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. विशाल पुत्र बिट्टू निवासी दंघेडा थाना नांगल जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 11000/- नकद बरामद
- एक मोबाइल फोन वीवो कम्पनी रंग काला

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विशाल

1. मु0अ0सं0 59/23 धारा 380/511/427/295 भादवि थाना गागलहेडी
2. मु0अ0सं0 162/23 धारा 379 भादवि थाना देवबन्द सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 93/23 धारा 457/380 भादवि थाना नांगल जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 276/23 धारा 457/380/411 भादवि थाना नांगल सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त प्रशान्त उर्फ सोनू उर्फ सानू

1. मु0अ0सं0 59/23 धारा 380/511/427/295 भादवि थाना गागलहेडी
2. मु0अ0सं0 162/23 धारा 379 भादवि थाना देवबन्द सहारनपुर

3. मु0अ0सं0 93/23 धारा 457/380 भादवि थाना नांगल जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 276/23 धारा 457/380/411 भादवि थाना नांगल सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 असगर अली थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. उ0नि0यूटी राखी शर्मा थाना नागंल सहारनपुर
4. है0का0 380 आजाद सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 29.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा दो शातिर मोटरसाईकिल चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 07 मोटरसाईकिल, 02 स्कूटी व 01 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 28.05.2024 को वादी गुलशेर पुत्र अनीस निवासी मौ0 बिल्सन बाग वाला थाना कुतुबशेर ने एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की मोटरसाइकिल कर लेने के संबंध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0- 168 धारा 379 भादवि एंव दिनांक 30.03.2024 को वादी अनुज कुमार पुत्र मोल्डड सिंह निवासी सी-88 बृजेश नगर सदर बाजार ने एक लिखित तहरीर बाबत आज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की मोटरसाइकिल चोरी होने के संबंध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0- 104/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर ने उक्त घटनाओं का संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर मोटरसाइकिल चोर अभियुक्तगण 1. **शैंकी पुत्र पवन कुमार निवासी ग्राम बनीखेडा थाना कुतुबशेर सहारनपुर** 2. **जितेन्द्र पुत्र रामपाल निवासी ग्राम बनीखेडा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को मानकमऊ बस स्टेण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे चोरी की 07 मोटरसाईकिल व 2 स्कूटी बरामद हुयी। बरामद उपरोक्त मोटरसाइकिल के संबंध में थाना कुतुबशेर, थाना कोतवाली देहात सहारनपुर व ई- थाना चण्डीगढ में चोरी के अभियोग पंजीकृत है । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण शैंकी व जितेन्द्र उपरोक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर **मु0अ0सं0 170/2024 धारा 411/414/420/465/467/468/471 भादवि** पंजीकृत किया गया । अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने एक स्वर में बताया कि हम दोनो कम पढे लिखे हैं व मजदूरी का कार्य करते हैं। हम दोनो मिलकर सहारनपुर व हरियाणा से मोटरसाइकिल व स्कूटी चोरी करते है और यूपी से चोरी की गयी मोटरसाईकिल/स्कूटी को हरियाणा मे व हरियाणा से चोरी की गयी मोटरसाईकिलो/स्कूटी को यूपी मे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाते है और आपस मे बांट लेते है ।हम लोग चोरी किए गए वाहनो की पहचान छिपाने के लिये उन पर फर्जी नम्बर प्लेट लगा देते है तथा कुछ का इन्जन व चैचिस नम्बर भी मिटा देते हैं, जिससे पुलिस हमे पकड़ ने सके । हम चोरी की गयी मोटरसाईकिल को गंगोह रोड पर ग्राम पीर माजरा से आगे बायी तरफ एक खण्डर पडे मकान मे छिपा देते थे जिनको हम मौका मिलते ही हरियाणा राज्य में बेच देते थे। दोनो अभियुक्त ने बताया कि 03 मोटरसाइकिल व 02 स्कूटी हमने कोतवाली शहर सहारनपुर,02 मोटरसाइकिल कुतुबशेर से व 02 हरियाणा राज्य से चोरी की थी। आज जब हम दोनो चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने जा रहे थे तभी पुलिस ने हमें पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

- **शैंकी पुत्र पवन कुमार निवासी ग्राम बनीखेडा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर**
- **जितेन्द्र पुत्र रामपाल निवासी ग्राम बनीखेडा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर**

बरामदगी का विवरण:-

- 07 चोरी की मोटरसाईकिल।
- 02 चोरी की स्कूटी।
- 01 फर्जी नम्बर प्लेट।

अभियुक्त शैंकी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0स0 197/23 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त जितेन्द्र उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0स0 166/23 धारा 414 भादवि 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
- मु0अ0स0 197/23 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अजब सिहं थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री राहुल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 960 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 138 कपिल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
6. का0 1913 राजन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।